अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्या 51/2012

रामदेव यादव एवं अन्य — अपीलार्थीगण

वनाम

शिवनन्दन यादव एवं अन्य — रेस्पाण्डेन्ट्स/विपक्षीगण

–:आदेश:–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थीगण के द्वारा भुमि सुधार उप–समाहर्त्ता, त्रिवेणीगंज के आदेश दिनांक: 17.01.2012 ई० अंदर वाद संख्या– 01/11–12 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के दाखिल किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख पर संधारित उभय पक्षों के सभी कागजात का सुक्ष्म अवलोकन किया।

प्रस्तुत अपील वाद में विवादी भूमि अन्दर मौजा– पिलुआहा खाता– 143 ग एवं 01 खेसरा–1715 एवं 1711 रकबा 0.4.0 डीसमल वो 0.4.0 डीसमल कुल 0.8.0 डीसमल में से 4 कट्ठा प्रश्नगत भूमि है।

अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के क्रम में कथन करते हैं कि प्रश्नगत भूमि सरयुग यादव के पिता गेना मंडल के द्वारा अर्जित थी। जिन्होंने विवादित प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी संख्या 2 एवं 3 को निबंधित बिकी दस्तावेज के माध्यम से बिकी कर दी। तदनुसार क्रेता का नाम बिहार सरकार सिरिस्ता में दर्ज हुआ एवं जिसका जमाबंदी 1124 चलती है। क्रय की गयी भूमि क्रय के उपरांत क्रेता के दखल में आयी। रेस्पाण्डेन्ट संख्या 1 द्वारा उनके पिता सरयुग यादव के जीवित रहते हुए ही अवैधानिक रूप से अपनी पत्नी के नामे निबंधित दान पत्र तामिल किया।

अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते है कि अपने पिता सरयुग यादव के जीवित रहते हुए ही रेस्पोण्डेन्ट संख्या 1 को निबंधित दान पत्र अपनी पत्नी अथवा अन्य के नामे तामिल करने का कोई बैधानिक अधिकार नहीं है।

विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते है कि प्रश्नगत भूमि

के वास्तविक रैयत गेना यादव के मृत्यु के उपरांत उनके चार पुत्र कमशः सरयुग यादव, फूनी यादव, स्वरूप यादव एवं नेवी यादव अपने दादा द्वारा छोडी गयी जायदाद के उत्तराधिकारी हुए। सरयुग यादव को विवादित प्रश्नगत भूमि कुल 08.19 धूर भूमि में से एक चौथाई प्राप्त हुआ वो वही उसका वास्तविक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 को विवादित भूमि पत्नी सहित किसी व्यक्ति को दान में देने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते है कि विवादित प्रश्नगत भूमि का बँटवारा करना निम्न न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से परे है।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के कम में कथन करते है कि मौजाः पिलुआहा के खाता नं0 143 खेसरा नं0 1715 रकबा 0.4.0 जमीन के अलावा दिगर खाता खेसरा वो रकबा की जमीन प्रार्थी प्रतिवादी नं0–1 के दादा वो प्रतिवादी संख्या –2 के ददिया ससुर के नाम से बिहार सरकार के अंचल सिरिस्ता में जमाबंदी कायम है। गेना यादव अपने पीछे चार पुत्र कमशः फनी यादव, नेती यादव, सरयुग यादव, स्वरूप यादव को छोड़कर स्वर्गवासी हो गए ।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते है कि उक्त वर्णित गेना यादव (मंडल) के पुत्र नेती यादव निःसन्तान फौत कर गए तब जितनी चल वो अचल सम्पत्ति गेना यादव की रही वह चार भागों अर्थात फनी यादव, नेती यादव, सरयुग यादव ,स्वरूप यादव के हिस्से में बँट गई। हिस्सानुसार चारों फरीकेन हकदार वो दखलकार चला आ रहा है। प्रश्नगत उक्त वर्णित खेसरा नं0 1711 का कुल रकबा 02.0.02 धूर है वो खेसरा नं0 –1715 का कुल रकबा 1.11.07 धूर है। इस खेसरा में आठ कट्ठा जमीन सरयुग यादव के पुत्र शिवनन्दन यादव, राम देव को अन्य फरिकेन फनी यादव, नेती यादव स्वरूप यादव से हिस्सा में मिला। रेस्पोण्डेन्ट संख्या –1 के पिता अपीलार्थी संख्या –1 को फायदा पहुँचाने के उद्देश्य से उक्त वर्णित खेसराओं के अतिरिक्त दिगर खेसराओं की जमीन दफे ब दफे बेचकर रूपया देने लगा तब रेस्पोण्डेन्ट संख्या 1 खेसरा संख्या 1711, 1715 में 2–2 कटठा एवं अन्य खेसराओं को मिलाकर 15 कट्ठा जमीन अपनी पत्नी के नाम दिनांक 16.12.93 को दान पत्र केवाला लिख दिया वो केवाला की तिथि से रेसपोण्डेन्ट संख्या –2 हकदार वो दखल चली आई। विधिवत अपने केवाला का दाखिल खारीज होकर जमाबन्दी नं0–1511 कायम किया गया वो मालगुजारी रसीद निर्गत किया गया ।

रेसपोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते है कि वर्णित खेसरा नं0 1715 ,1711 कुल रकबा आठ कट्ठा जमीन अपीलार्थी सख्या 1 दिनांक 17.12.93 को अपने पिता सरयुग यादव से अवैध तरीके से अपीलार्थी संख्या 2 एवं 3 जो 1993 में नाबालिग थे उसके नाम से केवाला करवा लिया वो वर्ष 2010 में जमीन पर गलत दावा करने लगा तब गॉव में सरपंच की मध्यस्तता में एक पंचायत हुआ। पंचायत में दिनांक 29.12.2010 को फैसला हुआ कि दोनों दस्तावेज अवैध है। दोनों भाई वर्णित खेसराओं के आधा–2 रकबा 4–4 कट्ठा के हकदार है।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते है कि जमीन को पुनः कब्जा करने के लिए अपीलार्थी बलवा तकरार करने लगा तब रेस्पोण्डेन्ट संख्या 1 के लिखित आवेदन पर माननीय एस0 डी0 एम0 साहब त्रिवेणीगंज के द्वारा उपर वर्णित खाता खेसरा की जमीन रकबा 4.9.4 कट्ठा पर दफा 144 दं0 प्र0 सं0 की कार्यवाही प्रारमभ किया गया। अनुमंडल दंडाधिकारी त्रिवेणीगंज के द्वारा दिनांक 24.09.11 को अपने आदेश में खेसरा नं0 1711 ,1715 की जमीन के रकबा 4–4 कट्ठा पर नियम रिक्त किया गया। इस आदेश के विरूद्ध कोई अपील या रिभिजन दाखिल नहीं किया गया। दखल कब्जा में व्यवधान वो कानूनी रूप से जमीन को माप कर दखल दिलाने हेतु रेस्पोण्डेन्ट संख्या 1 के द्वारा एक विविध वाद सख्या 01 /2011–12 विद्वान सक्षम प्राधिकार –सह –भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में दाखिल किया गया जिसमें रेस्पोण्डेन्ट संख्या –2 के द्वारा वादी के रूप मे हस्तःक्षेपक बना क्योंकि दान पत्र केवाला ज्ञानी देवी के नाम तामिल किया था जिसे विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता महोदय त्रिवेणीगज के के द्वारा ग्रहण किया गया वो दिनांक 17.01.12 को 8 कट्ठा जमीन में से

4 कट्ठा जमीन पर दखल दिलाने का आदेश दिया गया जो न्यायसंगत है ।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के अवलोकन से ये स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी शिवनन्दन यादव द्वारा प्रश्नगत भूमि अपनी पत्नी के नाम से दानपत्र दे दिया गया, लेकिन यह भूमि गेना मंडल के द्वारा अर्जित की गई थी एवं वारिसान होने के नाते सरयुग यादव इसके दावेदार हुए एवं सरयुग यादव के जीवित रहते हुए उनके पुत्र द्वारा भूमि का हस्तानन्तरण से विवाद है।

अतः ऐसी परिस्थिति में यह उचित है कि बटवारे के फलस्वरूप दखल कब्जा एवं बिक्री तथा नामान्तरण की जमीन की छानबीन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। निम्न न्यायालय द्वारा इस मामले का गहन छानबीन नहीं की गई है। अतः अपील आवेदन स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश दिनांक 17.01.2012 को निरस्त किया जाता है एवं इस मामले को पुनः प्रेषित करते हुए आदेश दिया जाता है कि स्वयं स्थल निरीक्षण कर एवं मामले को सुनकर मामला का निस्पादन दो माह के अन्दर करें। इस प्रकार वाद निस्तार किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा